**न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1 भदोही।**

उपस्थितः पुष्पा सिंह ,
(उच्चतर न्यायिक सेवा )
जे.ओ.कोड–यू.पी.01588

**फौजदारी अपील संख्या–06 सन् 2023**

**सी.एन.आर.नं.यू.पी.एस.एन.01000193–2023**

किशन उर्फ सूबेदार उम्र लगभग 28 साल पुत्र रामजश विश्वकर्मा, निवासी रामपुर सर्रोई, थाना–भदोही, जनपद–भदोही। .......अपीलार्थी/दोषसिद्ध।

**बनाम**

उ0 प्र0 राज्य ..............प्रतिउत्तरदाता।

**निर्णय**

1. प्रस्तुत दाण्डिक अपील न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भदोही–ज्ञानपुर द्वारा दाण्डिक वाद संख्या 6819 सन् 2016, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम किशन उर्फ सूबेदार, मुकदमा अपराध संख्या–335 सन् 2016, अन्तर्गत धारा–3/25, आयुध अधिनियम, थाना–भदोही, जिला–भदोही के मामले में अपीलार्थी/दोषसिद्ध किशन उर्फ सूबेदार के विरूद्ध पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश दिनांकित 19.12.2022 के विरुद्ध संस्थित की गयी है, जिसके माध्यम से विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषसिद्ध/अपीलार्थी किशन उर्फ सूबेदार को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम के अधीन दो वर्ष के साधारण कारावास एवं मु० दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में उसे एक माह के साधारण कारावास की सजा भुगतने हेतु दण्डादेश पारित किया गया है।

2. संक्षेप में, वे तथ्य , जिनसे यह आपराधिक अपील अस्तित्व में आयी, इस प्रकार है कि दिनांक 23.09.2016 को उप निरीक्षक प्रभूनाथ वर्मा मय हमराही कां० बुल्लू यादव व कां० अजय यादव के साथ बगरज देखभाल क्षेत्र नेशनल तिराहा पर मौजूद था कि थाने से उप निरीक्षक परपेश्वर सिंह, कां० कृष्णदत्त मिश्रा व कां० चन्द्रधर द्विवेदी गजिया कुशियरा का भ्रमण करते हुए मिले तथा अपराधियों के सम्बन्ध में नेशनल तिराहे पर बातचीत की जा रही थी कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिलने पर सूचना से गवाहान फराहम करने का प्रयास किया परन्तु कोई

साथ चलने के लिए तैयार नहीं हुआ। अतः बउम्मीद गिरफ्तारी व बरामदगी मुखबिर को साथ लेकर ज्ञानपुर की तरफ जाने वाली सड़क पर पिपरीस बरखण्डी गाँव जाने वाले तिराहे पर पहुंचे कि सामने से दो व्यक्ति अलग–अलग मोटर साइकिल पर आते दिखाई दिये, जिन्हें मुखबिर के बताये अनुसार दोनो मोटर साइकिल सवार को रोका गया तो वे देखकर पीछे मुड़कर भागना चाहे कि एक बारगी घेरकर दोनों व्यक्तियों को हमराही कर्मचारीगण की मदद से पिपरीस बरखण्डी तिराहे से 50 मीटर ज्ञानपुर रोड की तरफ जाने वाली सड़क पर पकड़ लिया गया जिनका नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गई तो एक ने अपना नाम किशन उर्फ सूबेदार पुत्र रामयश विश्वकर्मा निवासी रामपुर सर्रोई थाना भदोही जिला भदोही बताया। जामा तलाशी लेने पर पहने हुए पैण्ट की बांयी फेट से कमर में खुसा हुआ एक अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर पैण्ट की दाहिनी जेब से बरामद हुआ। अभियुक्त उपरोक्त से कट्टा कारतूस रखने का अधिकार पत्र मांगने पर नहीं दिखा सका। अतः अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय 19.00 बजे हिरासत पुलिस एवं बरामद तमंचा व कारतूस को अलग–अलग सफेद कपड़े में सर्वमुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी मेमो मौके पर तैयार की गयी तथा गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के बताये नम्बर पर उसके परिजन को दी गयी। फर्द मौके पर टार्च की रोशनी में लिखकर–पढ़कर सुनाकर सभी सम्बन्धित के अलामात बनवाये गये। दौरान गिरफ्तारी आ जा रहे लोगों से गवाही के लिए कहने पर कोई तैयार नहीं हुआ और बिना नाम पता बताये हट–बढ़ गये। फर्द की एक प्रति अभियुक्त को दी गयी।

3. उपरोक्त फर्द बरामदगी के आधार पर अपीलार्थी/अभियुक्त किशन उर्फ सूबेदार के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या–335 सन् 2016, धारा–3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए विवेचक द्वारा अपराध की विवेचना संचालित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शानजरी तैयार कर गवाहान का बयान अंकित कर संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त किशन उर्फ सूबेदार के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या–335 सन् 2016, धारा–3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

4. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा–3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने तथाकथित घटना से इंकार किया और झूंठा मुकदमा चलना कहा।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन साक्षी क्रमांक–1 प्रभूनाथ वर्मा सेवानिवृत्त उप निरीक्षक, अभियोजन साक्षी क्रमांक–2 हे०कां० अतुल कुमार, अभियोजन साक्षी क्रमांक–3 बलवंत सिंह सेवा निवृत्त उप निरीक्षक को परीक्षित कराया गया तथा अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के पश्चात अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने तथाकथित घटना गलत होना एवं प्रतिरक्षा में सफाई साक्ष्य न देना तथा मुकदमा रंजिशन चलाये जाने का कथन किया है।

6. विद्वान विचारण न्यायालय ने विद्वान अभियोजन अधिकारी तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक रुप से परिशीलन करने के उपरांत अभियुक्त किशन उर्फ सूबेदार को धारा–3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्ध पाते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास तथा दो हजार रुपये के अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में दोषसिद्ध को एक माह के साधारण कारावास भुगतने हेतु दण्डादेश पारित किया, जिससे क्षुब्ध होकर यह दाण्डिक अपील संस्थित की गयी है।

7. अपीलार्थी/दोषसिद्ध की ओर से आधार अपील एवं तर्क में कहा गया है कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रश्नगत निर्णय एवं दण्डादेश पारित करते समय अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन नहीं किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्यों में आये परस्पर विरोधी बयानों का गम्भीरता से अवलोकन किए ही प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। कथित घटना के समय गिरफ्तारी व बरामदगी में मौजूद प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों को प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। गिरफ्तारी के समय मौजूद सहकर्मियों को साक्ष्य में न प्रस्तुत किया जाना और प्रश्नगत निर्णय व दण्डादेश पारित किया जाना विधि विरुद्ध है। कथित फर्द बरामदगी में एक अदद मोटर साइकिल भी बरामद की गयी है और उस बरामद मोटर साइकिल का किसी भी मुकदमे से लिंक नहीं है, जिससे भी गिरफ्तारी व बरामदगी पूर्णतया संदिग्ध प्रतीत होती है। अधीनस्थ न्यायालय में कथित बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में वादी मुकदमा द्वारा दिये गये साक्ष्य में बहुत विरोधाभाष है, क्योंकि वादी मुकदमा द्वारा घटनास्थल के सम्बन्ध में यह कथन किया गया है कि कथित गिरफ्तारी स्थल बरखण्डी तिराहा कहाँ पर है, याद नहीं है और वादी मुकदमा के ऐसे साक्ष्य पर विश्वास करके प्रश्नगत निर्णय/दण्डादेश पारित किया जाना विधि विरुद्ध है। अभियोजन अपीलार्थी के विरुद्ध आरोपित अपराध को युक्ति युक्त संदेह से

परे साबित करने में असफल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय/दण्डादेश साक्ष्यों के गुण–अवगुण पर गम्भीरता से विचार किए बिना ही पारित किया गया है जो विधि द्वारा सुस्थापित नियमों के विरुद्ध है। अतः अपील स्वीकार कर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भदोही द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय एवं दण्डादेश को अपास्त करते हुए अपीलार्थी/दोषसिद्ध को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

8. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अपील का विरोध करते हुए कहा गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दण्डादेश में कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक अपील निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

9. मैंने अपीलार्थी/दोषसिद्ध के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना तथा विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भदोही द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय एवं दण्डादेश का सम्यक अवलोकन किया।

10. **प्रस्तुत फौजदारी अपील के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दुओं का निस्तारण किया जाना आवश्यक है–**

क्या विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भदोही द्वारा अपीलार्थी/दोषसिद्ध की दोषसिद्धि एवं दण्डादेश का निर्णय दिनांकित 19.12.2022 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के उचित एवं विधिपूर्ण विवेचन पर आधारित न होकर विधि सम्मत नहीं है ?

**विवेचन एवं निष्कर्ष विचारणीय बिन्दु संख्या–1**

11. सर्वप्रथम यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अभिलेख पर मूल फर्द बरामदगी अथवा उसकी कोई प्रमाणित प्रतिलिपि अभियोजन द्वारा दाखिल नहीं की गयी है, ना ही इस दस्तावेज के अभिलेख पर दाखिल न करने का कोई कारण ही अभियोजन द्वारा स्पष्ट किया गया है। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि प्रस्तुत प्रकरण में जिस फर्द बरामदगी के आधार पर ही चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट अपीलार्थी/दोषसिद्ध के विरुद्ध संस्थित की गयी है तथा विवेचक द्वारा विवेचना प्रारम्भ करते हुए आरोप–पत्र भी अपीलार्थी/दोषसिद्ध के विरुद्ध प्रेषित किया गया है। जबकि अभियोजन द्वारा मूल फर्द बरामदगी अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि अभिलेख पर दाखिल नहीं की गयी है। ऐसे में यह किस प्रकार से प्रमाणित होता है कि अपीलार्थी/दोषसिद्ध से प्रश्नगत तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है, यह विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अपने प्रश्नगत निर्णय

एवं दण्डादेश में कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है।

12. यहाँ पर चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट जो कि नकल फर्द बरामदगी भी है, का अवलोकन आवश्यक है, इस दस्तावेज में यह अंकना है कि पुलिस वालों को देखकर पीछे मुड़कर भागना चाहे कि एकबारगी घेरकर दोनों व्यक्तियों को हमराही कर्मीगण की मदद से पिपरिस बरखण्डी तिराहे से पचास मीटर ज्ञानपुर रोड की तरफ जाने वाली सड़क पर घेरकर पकड़ लिया गया, जिनका नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना पता किशन उर्फ सूबेदार पुत्र रामयश विश्वकर्मा निवासी रामपुर सर्रोई थाना भदोही जिला भदोही जिसकी जामा तलाशी ली गई तो पहने हुए पैंट की बांयी फेट में खुसा हुआ एक अदद तमंचा 12 बोर नाजायज व एक जिन्दा कारतूस पैंट की जेब से बरामद हुआ। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट फर्द बरामदगी में यह अंकना कहीं भी नहीं है कि अपीलार्थी/दोषसिद्ध के बांये फेट कमर से खुसा हुआ जो तमंचा बरामद हुआ है, वह चालू हालत में है अथवा नहीं। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी/दोषसिद्ध से बरामद तमंचा के चालू हालत में होने के सम्बन्ध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की कोई आख्या भी नहीं है तथा बरामदशुदा तमंचे को विवेचक द्वारा उसके चालू हालत में होने के संदर्भ में विधि विज्ञान प्रयोगशाला क्यों नहीं भेजा गया, इस सम्बन्ध में अभियोजन द्वारा कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया गया है। अभिलेख पर जिला मजिस्ट्रेट भदोही के आदेश दिनांकित 26.11.2016 की मूल प्रति दाखिल है, जिसमें भी यह अंकना नहीं है कि "बरामद तमंचा व कारतूस को सील्ड कवर में नमूना मुहर के साथ प्रस्तुत किया गया है। नमूना मुहर से मिलान करने के पश्चात सील्ड कवर तोड़कर परीक्षण किया गया तो पाया गया कि जैसा केस डायरी में अंकित है, सही है। पुनः बरामद तमंचा व कारतूस को सील्ड कवर में सील मुहर किया गया।" इस दस्तावेज से स्पष्ट नहीं है कि अपीलार्थी/दोषसिद्ध से बरामद तमंचा चालू हालत में था अथवा नहीं। यहाँ यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि तमंचा को आग्नेयास्त्र की श्रेणी में रखे जाने हेतु उसका चालू हालत में होना आवश्यक है। अभिलेख पर थाने की सामान्य दैनिकी के कार्बन कापी की फोटो प्रमाणित मय थाने की मुहर कागज संख्या–28 ग/5 के रुप में दाखिल है। उल्लेखनीय है कि इस दस्तावेज को भी अभियोजन द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है तथा ना ही इस दस्तावेज को न प्रमाणित कराये जाने का कोई कारण ही अभियोजन द्वारा स्पष्ट किया गया है। अतः इस दस्तावेज कागज संख्या–28 ग/5 को बतौर साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता। यदि इस दस्तावेज को बतौर साक्ष्य तर्क के लिए प्रमाणित

मान भी लिया जाये तो उस स्थिति में भी इस दस्तावेज में थाने से पुलिस बल की रवानगी व वापसी दर्ज नहीं है तथा यह दस्तावेज अस्पष्ट एवं अपठनीय है, इसमें बरामद तमंचा को मालखाने में दाखिल किए जाने की भी कोई अंकना नहीं है।

13. यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि अभियोजन द्वारा मात्र तीन साक्षियों परीक्षित कराया गया है तथा वे सभी घटना दिनांक को थाना भदोही में कार्यरत पुलिस कर्मी हैं, थाना भदोही में पदस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा ही मुकदमा दर्ज किया गया है तथा प्रस्तुत प्रकरण का वादी मुकदमा भी घटना दिनांक को थाना भदोही में पदस्थ था तथा अभियोजन द्वारा कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा किसी भी जनता के व्यक्ति से पूछताछ क्यों नहीं की गयी तथा उनको बतौर साक्षी प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया।

14. यहाँ पर अभियोजन साक्षी क्रमांक–1 प्रभुनाथ वर्मा के द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में यह कहा गया है कि घूमते हुए पिपरिस बरखण्डी तिराहा पहुंचे। बरखण्डी तिराहा भूमि लालपुर गांव के तहत आता है। बरखण्डी तिराहा कहाँ पर है, सनद नहीं है। ज्ञानपुर रोड है अथवा नहीं, अंदाज नहीं है। कथित तिराहे के आस–पास बस्ती भी है, दुकानें भी हैं। बरखण्डी तिराहे पर वह सात बजे शाम को पहुंचा था। इसी साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि भदोही से मुल्जिम ज्ञानपुर किस रास्ते से आ रहे थे, याद नहीं है।

15. अभियोजन साक्षी क्रमांक–2 हेड कांस्टेबल अतुल कुमार के भी प्रतिपरीक्षण के कथन भी यहाँ पर अवलोकनीय है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि अपराध संख्या–335/16 की फर्द बरामदगी में किशुन उर्फ सूबेदार के अलावा और किसी अभियुक्त का नाम याद नहीं है।

16. अभियोजन साक्षी क्रमांक–3 सेवानिवृत्त उप निरीक्षक बलवंत सिंह के प्रतिपरीक्षण के कथन यहाँ पर अवलोकनीय हैं, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि घटनास्थल ज्ञानपुर से भदोही जाने वाली मेनरोड पर स्थित है। घटनास्थल के पूरब तरफ कटरा है, वहीं से रोड हरिजन बस्ती है, पश्चिम तरफ खेत है। इसी साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उत्तर तरफ ज्ञानपुर रोड है, दक्षिण तरफ भदोही को जाने वाली रोड है। ज्ञानपुर रोड पूरब तरफ नहीं गयी है, बल्कि उत्तर दक्षिण गयी है। हरिजन बस्ती वाला रोड पूरब दिशा में गया है। इसी साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि अपराध संख्या वह नहीं बता सकता। किस अपराध संख्या से सम्बन्धित है, याद नहीं है।

इसी साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि किशन के पास से बरामद कट्टा व कारतूस के सम्बन्ध में अभियोजन को रिपोर्ट भेजी थी, वह रिपोर्ट आयी है कि नहीं वह नहीं बता सकता।

17. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भदोही द्वारा अपीलार्थी/दोषसिद्ध किशन उर्फ सूबेदार के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश दिनांकित 19.12.2022 में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर गंभीर विसंगतपूर्ण होने के कारण स्थिर रहने योग्य नहीं है तथा अपीलार्थी/दोषसिद्ध संदेह का लाभ प्राप्त करते हुए आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम के अपराध से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

## आदेश

अपीलार्थी/दोषसिद्ध किशन उर्फ सूबेदार द्वारा प्रस्तुत फौजदारी अपील संख्या–6 सन् 2023 स्वीकार की जाती है। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भदोही–ज्ञानपुर द्वारा दाण्डिक वाद संख्या–6819 सन् 2016, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम किशन उर्फ सूबेदार, मुकदमा अपराध संख्या–335 सन् 2016, धारा–3/25 आयुध अधिनियम थाना भदोही, जनपद–भदोही के मामले में अपीलार्थी/दोषसिद्ध किशन उर्फ सूबेदार के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश दिनांकित 19.12.2022 अपास्त किया जाता है।

अपीलार्थी/दोषसिद्ध किशन उर्फ सूबेदार को संदेह का लाभ प्रदान करते हुए आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा– 3/25 आयुध अधिनियम से दोषमुक्त किया जाता है।

अपीलार्थी/दोषसिद्ध दौरान अपील जमानत पर था, उसके जमानतनामें तथा बन्ध–पत्र निरस्त करते हुए प्रतिभूओं को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अपीलार्थी/अभियुक्त किशन उर्फ सूबेदार द्वारा धारा–437(क)दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुपालन में निर्णय के एक सप्ताह के अन्दर मु० 20,000/–रुपये का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र व समान धनराशि का दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत करेगा, जो अग्रेतर छः माह तक प्रभावी रहेगा।

प्रस्तुत प्रकरण के माल मुकदमाती को अपीलीय अवधि के पश्चात विनिष्ट किया जाये, परन्तु अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार उसका निस्तारण किया जाय।

निर्णय की एक प्रति विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भदोही के न्यायालय को प्रेषित की जाय।

दिनांक 02.04.2026

( पुष्पा सिंह )
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–1, भदोही।

निर्णय आज खुले न्यायालय में तिथि सहित हस्ताक्षर करके मेरे द्वारा उद्घोषित किया गया।

दिनांक 02.04.2026

( पुष्पा सिंह )
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–1, भदोही।

Digitally signed by PUSHPA SINGH
Date: 2026.04.16 10:07:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court